संख्या: 7/2018/977/12-2-2018-11/2018

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2018**

विषय: **अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई0आर0आर0आई0) के 'इरी साउथ एशिया रीजनल सेन्टर' (आई0एस0ए0आर0सी0) को जनपद वाराणसी में भूमि उपलब्ध कराया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 एवं आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/11972-टी/इरी-वाराणसी केन्द्र/2017-18 दिनांक 23 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इरी साउथ एशिया रीजनल सेन्टर की स्थापना हेतु कृषि विभाग के सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र (आर0ए0टी0डी0सी0), वाराणसी की 5.00 हेक्टेयर (12.50 एकड) भूमि रूपये 1000 वार्षिक दर पर 30 वर्ष के लीज पर निम्न कार्यो के सम्पादन हेतु दिये जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है:-

(क) बाढ, सूखा एवं जलवायु परिवर्तन जैसी विपरीत परिस्थितियों में बेहतर परिणाम देने वाली धान की नई प्रजातियों का विकास।

(ख) देश/प्रदेश की धान की स्थानीय प्रचलित प्रजातियों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता का विकास।

(ग) समस्याग्रस्त क्षेत्रों में धान की खेती हेतु समुचित फसल प्रबंधन तकनीक का विकास।

(घ) धान की नयी प्रजातियों के प्रमाणित बीज उत्पादन एवं शोध कार्यो में सहयोग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।

3. अत: कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 7/2018/977 (1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या: 4/2/10/2018-सी0एक्स(1) दिनांक 16 मार्च, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।